④

प्रारूप –3

भाग –2 (संबन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जायेगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति . जनपद- पौड़ी गढ़वाल मे बसोला - वनडियालगांव हेतु मोटर मार्ग निर्माण

(I) राज्य / संघराज्य क्षेत्र -- उत्तराखण्ड।

(II) जिला – पौड़ी गढ़वाल।

(III) जिला वन प्रभाग – गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी।

(IV) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र :– 3.132 है०

17. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति :– 0.882 है० आरक्षित वन भूमि / 2.250 है० सिविल सोयम भूमि] 3.132 है०

18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा :–

(I) वन का प्रकार :– आरक्षित वन | सिविल वन

(II) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व :– 0.5

(III) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षो की परिगणना :– प्रारूप-19 के अनुसार चीड़ प्रजाति के विभिन्न व्यास वर्गों के 52 वृक्ष प्रभावित होंगे।

(IV) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा :– –

19. भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पण :– भू-वैज्ञानिक की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित एलाइन्मेंट स्थल क्षेत्र दिये गये सुझावों का अनुपालन करते हुए मार्ग निर्माण भू-स्खलन प्रतिरोधी उपयुक्त है।

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :– 0 Km

21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण मे उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :–

(I) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :– क्षुद्र वन्य जीव विद्यमान है।

(II) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते है (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्व किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्व की जाए) :– नहीं

(III) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण ब्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि0मी0 के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) :– नहीं

(IV) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण ब्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि0मी0 के भीतर अवस्थित है (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्व की जाए) नहीं

(V) क्या क्षेत्र मे वनस्पति और जीव जन्तु के अलग या खतरे में अलग किस्म की प्रजातियां है, यदि है तो उनके ब्यौरे :–

22. क्या क्षेत्र मे कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या काई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थिति है (यदि ऐसा है तो उपाबद्व किये जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एन0ओ0 सी0) के साथ उनका ब्यौरा दें) :– नहीं

23. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :–

(I) क्या भाग– 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है :– हाँ

(II) यदि नही तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है। –

24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :–

(I) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धन्तो के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है ~~(हां / नहीं)~~ नहीं

(II) यदि हॉं, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरूद्व की गई कार्यवाही :– —

(III) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हॉं / नहीं) नहीं

25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :–

(I) क्षतिपूरक वनरोपण बढाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विविध प्रास्थिति :– ग्राम - दौंड की सिविल सोयम भूमि

(II) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवतन वन जैसे ब्यौरें दें :– ग्राम - दौंड की [illegible] की भूमि खसरा नं० 755, कुल क्षेत्रफल - 10.040 है० में से 6.264 है०

(III) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्षित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है। हाँ

(6)

(IV) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न है (हां/नहीं) :– हाँ

(V) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :– रु 3,95752.00

(VI) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान, किए गए क्षेत्र की व्युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण–पत्र संलग्न है (हां/~~नहीं~~) :– हाँ

26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं) :– हाँ (परिशिष्ट-7)

27. स्वीकृत या अन्यथा कारणों से साथ प्रस्ताव के लिए उप वनसंरक्षक की विनिदिष्ट सिफारिशें :– जनहित में संस्तुति की जाती है।

स्थान : पौड़ी (गढ़वाल)

तारीख : 18-08-2015

(रमेश चन्द्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
गढ़वाल वन प्रभाग
पौड़ी

हस्ताक्षर | नाम | शासकीय मुद्रा